भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 276

30 नवम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

केन्द्रीय भंडार से सम्बंधित शिकायतें

276. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार, एक बहु-राज्य सहकारी समिति ने डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39020/01/2013-स्था (बी) दिनांक 9.10.2015 तथा केंद्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ के परिपत्र संख्या आर-11017/19/2017 एलएंडएम दिनांक 3.7.2017 के उल्लंघन में समूह 'ख' और 'ग' कर्मचारियों की भर्ती साक्षात्कार के माध्यम से की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय भंडार ने बिना लिखित परीक्षा के नियमित नियुक्तियों के मामले में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय रजिस्ट्रार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 और डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन आदि के उल्लंघन में की गई अवैध नियुक्तियों को रद्द करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क), (ख) एवं (घ): केन्द्रीय भंडार, बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत एक पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समिति है। केंद्रीय भंडार के कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 49 के प्रावधानों के तहत निदेशक मंडल द्वारा तैयार किए गए हैं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****